

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई 2017—श्रावण 7, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. डी-15-43-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, व्यापार तथा खाद्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145-13, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा संस्थापित कृषि उपज मण्डी समिति नीमच, जिला नीमच के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत, चंगेरा, डुंगलावदा तहसील नीमच जिला नीमच के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 37.790 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रः—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	1. ग्राम चंगेरा के निजी भूमि के खसरा क्रमांक 31 किता. 2. ग्राम चंदेरा के शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 32 किता.	14.030 16.380
2	1. ग्राम डुंगलावदा के निजी भूमि के खसरा क्रमांक 03 किता. 2. ग्राम डुंगलावदा के शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 02 किता.	2.730 04.650
		कुल योग ..
		37.790

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—ग्राम डुगलावद की सीमा।

दक्षिण में—ग्राम चंगेरा की सीमा।

पूर्व में—तालाब की सीमा।

पश्चिम में—कृषि भूमि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. डी-15-43-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 29th July 2017

No. D-15-43-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Neemach District Neemach has been established by the Commerce and Food Department's Notification No. 145/13, dated 9th June 1953 shall be the Additional market namely:—

PLACE

An area of 37.790 Hecters land of below mentioned khasra number at Gram Panchayat Changera and Dunglavada in Tehsil Neemach of District Neemach:—

S. No.	Khasra No.	Area (In Hecters)
(1)	(2)	(3)
1	1. Into 31 Survey No. Private Land of Gram Changera. 2. Into 32 Survey No. Govt. Land of Gram Changera.	14.030 16.380
2	1. Into 03 Survey No. Private Land of Gram Dunglavada. 2. Into 02 Survey No. Govt. Land of Gram Dunglavada.	02.730 04.650
		All Total . .37.790

BOUNDED BY

On the North by—Boundri of Gram Dunglavada.

On the South by—Boundri of Gram Changra.

On the East by—Boundri of Pond.

On the West by—Agriculture Land.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. डी-15-43-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र नीमच जिला नीमच के निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत चंगेरा, डुंगलावदा तहसील नीमच जिला नीमच की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
(1) घसुण्डी, (2) बिसलवास खुर्द, (3) अमावली महल, (4) दूदरसी, (5) लेवादा, 6. कनावटी, (7) डुंगलावदा, (8) भड़भड़िया, (9) समर खुर्द, (10) चंगेरा, (11) मेवासा, (12) खड़ावदा, (13) सगराना, (14) बिसलवास कला।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. डी-15-43-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2017 का अग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव,

Bhopal, the 29th July 2017

No. D-15-43-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated 29th July, 2017 the following area of Neemach of distircet Neemach shall be Additional market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat at Changera and Dunglavada in Tehsil Neemach of District Neemach;
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely:—
 - (1) Ghasundi, (2) Bisalvas Khurd, (3) Amawali Mahal, (4) Dudarsi, (5) Levada, (6) Kanavati, (7) Dunglavada, (8) Bhadbadiya, (9) Samar Khurd, (10) Changera, (11) Mevasa, (12) Khadawada, (13) Sagrana, (14) Bisalvas Kalan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.